राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 826/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
हितेन्द्र परिहार लवीना फोटो कॉपीयर्स] रोजगार कार्यालय के पास] नागौर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 20-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अशोक कुमार जैन, सहायक श्रम आयुक्त, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 5-6-17 के द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 17-5-17 के क्रम में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 9-9-17 से बिन्दुवार विनिश्चय का प्रेषण किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है तथा अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में भी नहीं आती है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 14-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ट्रेड यूनियन एक्ट के सम्बन्ध में व्याख्या चाही गई है तथा सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी अधिनियम की व्याख्या की वांछना नहीं की जा सकती।

8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय विधिसंगत है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त